23-12-2021

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुप। बार-बार आवाजो के बावजूद वकील वादी व उसके अधिवक्ता अनुपस्थित है। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात है कि वादी द्वारा बेदखल प्रथम के खसरा नंबर 27 रकबा 0-40 हेक्टर आराजी सिवायचक भूमि की प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी चाही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्णयो मे प्रतिपादित सिद्धान्तो के अनुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार खातेदारी देना असंभव है। अत: धारा 151 CPC के प्रावधानो के तहत वाद वादी अदम हाजरी व अदम पैरवी तथा Adverse Possession के आधार पर खातेदारी देना प्रतिबंधित होने से वाद वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

Sd/-